



Neutral Citation No.- 2026: AHC-LKO:19943

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ

रिट ए संख्या. - 10296 सन 2021

वीरेंद्र कुमार

....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, लखनऊ, द्वारा प्रबंध निदेशक एवं 3 अन्य

....विपक्षीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : महेंद्र प्रताप सिंह, अभिषेक द्विवेदी, सुधीर कुमार मिश्रा

विपक्षीगण के अधिवक्ता : शिरीष कुमार

न्यायालय संख्या- 18

माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री प्रकाश सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार मिश्रा और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री शिरीष कुमार की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।

इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28-08-2020 को पारित दंड आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को तीन दंड दिए गए हैं; पहला, विभाग को हुई हानि की वसूली, दूसरा, संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धियों को रोकना और तीसरा, विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी सेवा विनियम, 1975 (जिसे आगे "विनियम, 1975" कहा गया है) के विनियम 84 के तहत निर्धारित प्रावधान के अनुसार, दोषी कर्मचारी को केवल विनियम 84 (a) से (g) के तहत निर्धारित दंडों में से किसी एक से ही दंडित किया जा सकता है, जबकि स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता को चुनौती दिए गए आदेश के माध्यम से तीन दंड दिए गए हैं, जो कानून के तहत अस्वीकार्य है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ता का मामला पंचम राम यादव बनाम उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड, द्वारा प्रबंध निदेशक और अन्य के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले के अनुपात के अनुरूप है, जो 2019 एससीसी ऑनलाइन ऑल 5762 में प्रकाशित हुआ है। अतः, निवेदन है कि प्रश्नगत आदेश कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि इसी तरह के एक मामले में इस न्यायालय ने 07-01-2026 को रिट ए संख्या 15238/2025, रमेश चंद्र बनाम यू.पी. को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड द्वारा प्रबंध निदेशक और 2 अन्य के मामले में आदेश पारित किया है, जो वर्तमान मामले के दायरे को आच्छादित करता है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी-विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिरीष कुमार ने यद्यपि याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही के गुण-दोष के आधार पर मामले का विरोध किया है, परन्तु वे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस कानूनी मुद्दे से संबंधित तर्कों का खंडन करने में विफल रहे हैं कि केवल एक ही दंड दिया जा सकता है, जैसा कि विनियम, 1975 के विनियम 84 के अंतर्गत निर्धारित है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया था और उसके खिलाफ एक जाँच शुरू की गई थी और जाँच पूरी होने के बाद, दंडात्मक आदेश पारित किया गया है, जिसे यहां चुनौती दी गई है।

दंड प्रदान करने संबंधी कानून "विनियमन, 1975" के विनियम 84 के अंतर्गत निर्धारित है,

जो इस प्रकार है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

84. दंड। (i) किसी अन्य विनियम में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई कर्मचारी जो अपने ऊपर आबंटित कर्तव्य का उल्लंघन करता है या आपराधिक अपराध या अधिनियम की धारा 103 के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या इन विनियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य करता है, तो उसे निम्नलिखित में से किसी एक दंड से दंडित किया जाएगा: -

- a) निंदा,
- b) वेतन वृद्धि रोककर रखना।
- c) श्रेणी IV के कर्मचारी (चपरासी, चौकीदार आदि) पर जुर्माना।
- d) कर्मचारी के आचरण के कारण सहकारी समिति को हुई कोई भी आर्थिक हानि या नुकसान की पूर्ण या आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए वेतन या सुरक्षा जमा से वसूली करना
- e) कर्मचारी द्वारा वर्तमान में धारित पद या श्रेणी में कमी
- f) सेवा से हटाना, या
- g) सेवा से बर्खास्तगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ii) सजा के आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी

और इस आशय की प्रविष्टि कर्मचारी के सेवा अभिलेख में की जाएगी।

(iii) निंदा के अलावा कोई दंड नहीं लगाया जाएगा जब तक कि कर्मचारी को

कारण बताओ नोटिस न दिया गया हो और वह या तो निर्धारित समय के भीतर

उत्तर देने में विफल रहा हो या दंड देने वाले प्राधिकारी द्वारा उसका उत्तर

असंतोषजनक पाया गया हो।

(iv)(a) अभियोगपत्रित कर्मचारी को अपराध की गंभीरता के अनुसार उपयुक्त

प्राधिकारी द्वारा दंड दिया जाएगा:

बशर्ते कि खंड (i) के उपखंड (e), (f) या (g) के तहत कोई दंड अनुशासनात्मक

कार्यवाही का सहारा लिए बिना नहीं लगाया जाएगा।

(b) किसी भी कर्मचारी को उस प्राधिकारी के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी

द्वारा हटाया या बर्खास्त नहीं किया जाएगा जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया

गया था, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ने उस प्राधिकारी को लिखित रूप में

पूर्व-प्रतिनियोजन न कर दिया हो।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पारित करते समय उस अवधि का उल्लेख करेगा जिसके लिए वेतन वृद्धि रोकी गई है और क्या इसका प्रभाव भविष्य की वेतन वृद्धि या पदोन्नति को स्थगित करने पर पड़ेगा।

प्रावधान का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि इसमें यह प्रावधान है कि किसी अन्य विनियमों में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई कर्मचारी जो अपने ऊपर निर्धारित कर्तव्य का उल्लंघन करता है या आपराधिक अपराध या अधिनियम की धारा 103 के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या इन विनियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य करता है, तो उसे विनियम, 1975 के विनियम 84 के खंड (a)(ii)(g) के तहत निर्धारित किसी भी दंड से दंडित किया जाएगा।

जब यह न्यायालय उपरोक्त आदेश का विश्लेषण करता है, तो कानून के तहत यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को तीन प्रकार की सजाएँ दी गई हैं; विभाग को हुए नुकसान की वसूली; संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धियों को रोकना और विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि, जो स्पष्ट रूप से विनियमन 84 के प्रावधानों के अनुसार पारित नहीं की जा सकती थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

चूंकि दिनांक 28-08-2020 का प्रश्नगत आदेश "विनियमन, 1975" के विनियम 84 को दरकिनार करते हुए पारित किया गया है, इसलिए यह टिकाऊ नहीं है।

परिणामस्वरूप, दिनांक 28-08-2020 का प्रश्नगत आदेश एतद द्वारा रद्द किया जाता है।

याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, प्रतिवादी विभाग को प्रचलित कानूनों और कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, आरोप पत्र दाखिल करने के चरण से मामले में नए सिरे से कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता से पहले ही वसूल की जा चुकी राशि जाँच कार्यवाही के अंतिम परिणाम का विषय होगी।

याचिका को तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति श्री श्री प्रकाश सिंह)

आदेश दिनांक: - 18 मार्च 2026

एकेएस /-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।